मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

शुक्रवार, दिनांक 21 जुलाई, 2017 (आषाढ़ 30, शक संवत् 1939)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:01 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

1. बधाई

अध्यक्ष महोदय, सर्वश्री यशपाल सिंह सिसौदिया, बाबूलाल गौर, सदस्यगण एवं श्री विश्वास सारंग, राज्यमंत्री, सहकारिता सहित समस्त माननीय सदस्यों द्वारा देश के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति महोदय, श्री रामनाथ कोविन्द को सदन की ओर से खड़े होकर बधाई एवं शुभकामनाएं दी गईं.

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 12 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एवं 12) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 112 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 118 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

3. अध्यक्षीय निर्देश

प्रश्न का समाधानकारक उत्तर न आने पर, व्यक्तिगत आरोप न लगाया जाना

ग्वालियर जिले के घाटीगांव में पदस्थ एक प्रदान अध्यापक के फर्जी जाति प्रमाण पत्र संबंधी श्री लाखन सिंह यादव, सदस्य के तारांकित प्रश्न संख्या 2 का उत्तर कुंवर विजय शाह, स्कूल शिक्षा मंत्री ने दिया. अनुपूरक चर्चा में प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा समाधानकारक उत्तर न मिलने पर मंत्री महोदय के प्रति व्यक्तिगत आरोप लगाया. प्रत्युत्तर में मंत्री महोदय द्वारा क्रोध में एक टिप्पणी की गई. श्री उमाशंकर गुप्ता, उच्च शिक्षा मंत्री ने माननीय सदस्य को क्षमा मांगने संबंधी मत व्यक्त किया.

अध्यक्ष महोदय द्वारा समझाईश देते हुए उल्लेख किया कि – "प्रश्नकर्ता सदस्य के प्रश्नों का समाधान यदि नहीं हुआ तो इसका अर्थ यह नहीं है कि व्यक्तिगत आरोप लगाएं. यह एक सामान्य प्रक्रिया है कि माननीय सदस्यगण कुछ मांग करते है तो उनमें से कई मांगें मंत्रीगण मानते हैं और कई नहीं मानते हैं. इसमें व्यक्तिगत राग द्वेष का प्रश्न नहीं आता है. मंत्री महोदय ने क्रोधवश जो कह दिया है, मैं उसे भी अनुचित मानता हूं. उन्होंने पहले जो अपने उत्तर में कहा है, वही कार्यवाही होगी. बाद की उनकी बात विलोपित की जाती है."

4. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री आरिफ अकील, सदस्य की भोपाल की ऐतिहासिक धरोहरों के रख-रखाव न होने,

(2) श्री के.पी. सिंह, सदस्य की शिवपुरी जिले के पिछोर में ग्राम मायापुर से रेडुी चौराहे तक सी.सी. रोड निर्माण होने,

(3) श्री कैलाश चावला, सदस्य की मन्दसौर जिले की जनपद पंचायत मनासा में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ हितग्राहियों को न मिलने,

(4) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य की श्योपुर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत कृषकों को विद्युत कंपनी द्वारा मनमानी राशि के देयक वितरण करने,

(5) श्री सुशील कुमार तिवारी, सदस्य की जबलपुर के पनागर विधानसभा क्षेत्र में मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल द्वारा निर्मित सुभाष नगर के आवासों की दुर्दशा होने,

(6) श्री आशीष गोविन्द शर्मा, सदस्य की देवास जिले के खातेगांव अंतर्गत ग्राम बड़दा-कांकरिया मार्ग में जामनेर नदी पर पुल निर्माण करने,

(7) श्री दिनेश राय, सदस्य की पशुपालन विभाग द्वारा पशुपालन प्रोत्साहन योजनाओं का भलीभांति क्रियान्वयन न किये जाने,

(8) श्री नारायण सिंह पंवार, सदस्य की राजगढ़ जिले के ब्यावरा विकासखण्ड में पुलिया निर्माण करने,

(9) श्री प्रहलाद भारती, सदस्य की शिवपुरी जिले में पोहरी विधानसभा अंतर्गत हाई स्कूलों में भवन नहीं होने,

(10) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की श्योपुर जिले की विजयपुर तहसील, ग्राम देवरी में कृषकों को बीमा राशि न मिलने,

(11) श्री हर्ष यादव, सदस्य की सागर जिले की तहसील शाहगढ़ के ग्रामों में अवैध खनन होने,

(12) श्री रणजीत सिंह गुणवान, सदस्य की सरकार द्वारा प्रदेश में सोयाबीन का समर्थन मूल्य घोषित करने,

(13) श्री सुखेन्द्र सिंह, सदस्य की भोपाल के अशोका गार्डन थाने द्वारा गुमशुदा महिला को थाने से भगाने,

(14) श्री रजनीश सिंह, सदस्य की सिवनी जिले के केवलारी विधानसभा क्षेत्र में ग्राम पंचायत रतनपुर के ग्रामों की माध्यमिक शाला भवन का निर्माण पूर्ण न होने,

(15) श्री गिरीश भंडारी, सदस्य की राजगढ़ जिले की नरसिंहगढ़ विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के क्रियान्वन करने,

(16) श्री इन्दर सिंह परमार, सदस्य की शाजापुर जिले की नगर परिषद पोलायकला में पेंशन प्रकरणों का निराकरण न होने,

(17) श्रीमती ऊषा चौधरी, सदस्य की सतना जिले के सज्जनपुरा स्थित विद्यालय भवन का निर्माण न होने,

(18) श्री घनश्याम पिरोनियाँ, सदस्य की भाण्डेर क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री होने,

(19) श्री संजय शर्मा, सदस्य की नरसिंहपुर जिले की स्वीकृत सड़कों पर रपटे के स्थान पर पुल का निर्माण किये जाने,

(20) श्री रजनीश सिंह, सदस्य की सिवनी जिले के ग्राम खाना बाजार व समनापुर के मध्य पुलिया का निर्माण किये जाने,

(21) डॉ. योगेन्द्र निर्मल, सदस्य की बारासिवनी स्थित महाविद्यालय में एम.एस.सी. की कक्षाएं प्रारंभ किये जाने,

(22) श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी, सदस्य की खरगोन जिले के बड़वाह स्थित महाविद्यालय भवन जीर्ण-शीर्ण होने,

(23) श्री सचिन यादव, सदस्य की सरदार सरोवर परियोजना अंतर्गत खरगौन के डूब प्रभावित ग्रामवासियों का विस्थापन, पुनर्वास नीति के तहत न किये जाने,

(24) श्री मधु भगत, सदस्य की बालाघाट जिले की परसवाड़ा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत महाविद्यालय खोले जाने,

(25) श्री बहादुर सिंह चौहान, सदस्य की महिदपुर विधानसभा के कस्बा झारड़ा में महाविद्यालय खोले जाने तथा

(26) श्री सूबेदार सिंह रजौधा, सदस्य की जौरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कई ग्रामों में विद्युत समस्या होने,

संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत हुईं मानी गईं.

5. शून्यकाल में उल्लेख

(1) मध्यप्रदेश की जेलों में कैदियों को कच्चा सामान दिया जाना

श्री आरिफ अकील, सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया कि –ध्यानाकर्षण सूचना दी है कि मध्यप्रदेश की जेलों में हफ्ते, 15 दिन में कैदियों से मिलाई में जो कच्चा सामान उनको दिया जाता था. वह बंद हो गया है. वह नमक के लिए तरस रहे हैं तो सामान लेने की व्यवस्था हो या जेल के अंदर कोई दुकान खोलकर उनसे पैसे लेकर उनको आवश्यकतानुसार सामान उपलब्ध कराया जाए.

(2) दमोह जिले में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्य प्रारम्भ न किया जाना

श्री प्रताप सिंह, सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया कि – अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में पूरे मध्यप्रदेश में चौथा चरण समाप्त हो गया है लेकिन दमोह जिले में अभी भी काम शुरू नहीं हुए हैं. उनकी डीपीआर सम्मिलित है, इस अनुपूरक बजट में उनको ले लिया जाय. अध्यक्ष महोदय ने उल्लेख किया कि आपने जो ध्यानाकर्षण दिया है, उस पर विचार कर लेंगे.

(3) फरार घोषित अपराधी के ऊपर कार्रवाई किया जाना

श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष द्वारा उल्लेख किया गया कि – एक व्यक्ति, जिसके ऊपर धारा में प्रकरण पंजीबद्ध हो, वह फरार घोषित हो, वह निरंतर विधान सभा के अंदर और बाहर दिख रहा हो, क्या उसके ऊपर कोई कार्यवाही होगी? जबलपुर में एसआईटी में गठित हुई. वह कह रही है - "प्रकरण में एसआईटी जबलपुर द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं. वर्तमान में प्रकरण विवेचना में है. " यह बहुत गंभीर विषय है.

श्री भूपेन्द्र सिंह, गृहमंत्री ने आश्वस्त किया कि माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो विषय रखा है. मैं अभी उनसे व्यक्तिगत मिल लूंगा और जो भी व्यक्ति इस तरह का होगा, हम उस पर कार्यवाही की जाएगी.

अध्यक्ष महोदय ने माननीय नेता प्रतिपक्ष से यह अनुरोध किया कि - मंत्री महोदय ने कार्यवाही हेतु आश्वस्त किया है. चूंकि आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, इसलिए उन्होंने उसका रिस्पांस दिया है. यह वाद-विवाद का स्थान एवं समय नहीं है. आप शासन के ध्यान में बात को ले आए हैं. मंत्री महोदय अविलंब आपसे बात करके उस पर आगे बढ़ेंगे.

(4) मंदसौर गोलीकाण्ड के आरोपियों पर इनाम घोषित किया जाना

श्री रामनिवास रावत, सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया कि – दिनांक 6 जून, 2017 को किसान आंदोलन के दौरान मंदसौर में हुए गोलीकांड के 32 आरोपियों की एक सूची जारी की है जिसमें ढूंढने के लिए 5 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है. अध्यक्ष महोदय ने उल्लेख किया कि यह विषय कल प्रश्न में आ चुका है.

(5) नीलगायों द्वारा फसलों को बर्बाद किया जाना

सर्वश्री कुंवर विक्रम सिंह, सुन्दरलाल तिवारी एवं मुरलीधर पाटीदार, सदस्यगण द्वारा उल्लेख किया गया कि – उनके विधान सभा क्षेत्रों में रुजवा (नीलगाय) पूरी फसलें चौपट कर दी हैं. बरसाती फसलें लगभग 8 इंच की हो चुकी थीं. इससे वहां हाहाकार मचा है और किसानों में रोष व्याप्त है.

6. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

(1) श्री राजेन्द्र शुक्ल, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार मंत्री की अनुपस्थिति में श्री उमाशंकर गुप्ता, राजस्व मंत्री ने विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2014-15 पटल पर रखा.

(2) श्री जयभान सिंह पवैया, उच्च शिक्षा मंत्री ने विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन का 59 वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2015-16 (01 जुलाई, 2015 से 30 जून, 2016 तक) पटल पर रखा.

(3) श्री लाल सिंह आर्य, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन ने दिनांक 13 दिसम्बर, 2013 को बैढ़न, जिला सिंगरौली में घटित गोली-चालन घटना की न्यायिक जांच आयोग का प्रतिवेदन, शासन के संकल्प सहित पटल पर रखा.

7. ध्यानाकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से नियम 138 (3) को शिथिल करके आज की कार्यसूची में उल्लेखित 4 ध्यानाकर्षण सूचनाएं लेने की घोषणा की गई. तद्नुसार -

(1) श्री के.पी. सिंह, सदस्य ने शिवपुरी जिले के मायापुर से रेड्डी चौराहा तक स्वीकृत डिवाइडर न बनाये जाने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री रामपाल सिंह, लोक निर्माण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

(2) श्री अशोक रोहाणी, सदस्य ने जबलपुर केण्ट क्षेत्र के राजीव नगर, संजय नगर आदि क्षेत्रों में पट्टों का नवीनीकरण न किये जाने की ओर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्रीमती माया सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

(3) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी, सर्वश्री ठाकुरदास नागवंशी, वेलसिंह भूरिया, सदस्यगण ने छतरपुर जिले के जसगुवां बिजावर स्थित डी.एड. कालेज द्वारा फर्जीवाड़ा किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

कुंवर विजय शाह, स्कूल शिक्षा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

सभापति महोदय (श्री के.पी. सिंह) पीठासीन हुए.

(4) श्री निशंक कुमार जैन, सदस्य ने आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा आपराधिक प्रकरण में लिप्त अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही न किए जाने की ओर आदिम जाति कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री लालसिंह आर्य, आदिम जाति कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

8. बहिर्गमन

श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा आपराधिक प्रकरण में लिप्त अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही न किए जाने के विरोध में शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया.

9. याचिकाओं की प्रस्तुति

सभापति महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों द्वारा याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं :-

(1) श्री पन्नालाल शाक्य (जिला-गुना)
(2) श्री जालम सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
(3) श्री सुशील कुमार तिवारी (जिला-जबलपुर)
(4) श्री रामलाल रौतेल (जिला-अनूपपुर)
(5) श्री दुर्गालाल विजय (जिला-श्योपुर)
(6) श्री रामनिवास रावत (जिला-श्योपुर)
(7) श्री आशीष गोविन्द शर्मा (जिला-देवास)
(8) श्री नारायण सिंह पंवार (जिला-राजगढ़)
(9) श्री दीवान सिंह पटेल (जिला-बड़वानी)
(10) श्री मानवेन्द्र सिंह (जिला-छतरपुर)
(11) श्री मधु भगत (जिला-बालाघाट)
(12) श्रीमती सरस्वती सिंह (जिला-सिंगरौली)
(13) श्री रजनीश हरवंश सिंह (जिला-सिवनी)
(14) कुंवर विक्रम सिंह (जिला-छतरपुर)
(15) डॉ. कैलाश जाटव (जिला-नरसिंहपुर)
(16) श्री मुकेश नायक (जिला-पन्ना)

(17) श्री सुखेन्द्र सिंह (जिला-रीवा)
(18) श्री हरदीप सिंह डंग (जिला-मंदसौर)
(19) श्री कालुसिंह ठाकुर (जिला-धार)
(20) श्री गोविन्द सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
(21) श्री दिनेश राय "मुनमुन" (जिला-सिवनी)
(22) श्री संजय उइके (जिला-बालाघाट)
(23) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर (जिला-टीकमगढ़)
(24) डॉ. रामकिशोर दोगने (जिला-हरदा)
(25) श्रीमती योगिता नवलसिंह बोरकर (जिला-खण्डवा)
(26) श्री प्रदीप अग्रवाल (जिला-दतिया)
(27) श्री संजय शर्मा (जिला-नरसिंहपुर)
(28) श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (जिला-गुना)
(29) श्री अमर सिंह यादव (जिला-राजगढ़)
(30) श्री नीलेश अवस्थी (जिला-जबलपुर)
(31) श्रीमती झूमा सोलंकी (जिला-खरगोन)
(32) श्री आर. डी. प्रजापति (जिला-छतरपुर)
(33) कुंवर सौरभ सिंह (जिला-कटनी)

10. वर्ष 2017-2018 की प्रथम अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान.

सभापति महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि परम्परानुसार, अनुपूरक मांगों की चर्चा में सभी मांगे एक साथ प्रस्तुत की जाकर उन पर एक साथ चर्चा होती है, अत: वित्त मंत्री द्वारा सभी मांगे एक साथ प्रस्तुत की जाएं, तदनुसार, श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि –

" दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 43, 45, 48, 50, 52, 53, 55, 56, 60, 64 तथा 67 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर पांच हजार बावन करोड़, तिरपन लाख, सैंतालीस हजार, दो सौ रुपये की अनुपूरक राशि दी जाये.".

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने आसंदी के माध्यम से सदन को अवगत कराया कि माननीय मंत्री महोदय ने अभी 5 हजार 52 करोड़ रुपए बताया है जबकि उनके द्वारा अनुपूरक अनुमान और विनियोग विधेयक प्रस्तुत 5 हजार 59 करोड़ रुपए लिखा है. इन दोनों में से कौन सा आंकड़ा सही है यह बता दें.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री रामनिवास रावत

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

(2) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया (चर्चा अपूर्ण)

(अपराह्न 1.30 से 3.12 बजे तक अन्तराल)

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने सदन को सूचित किया कि - वर्ष 2017-18 के प्रथम अनुपूरक अनुमान में अपना वक्तव्य देते समय धनराशि 5 हजार 92 करोड़ रूपये का उल्लेख किया था जिसमें सर्वश्री रामनिवास रावत और बाला बच्चन, सदस्यों ने कहा था कि इसमें फर्क है यह 5 हजार 59 करोड़ रूपये प्रथम अनुपूरक की कुल राशि है, वोटिंग मतदेय राशि पर होता है इसलिए उसी का उल्लेख किया गया है.

11. अशासकीय संकल्प

(1) श्री शंकरलाल तिवारी, सदस्य ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया कि - "सदन का यह मत है कि मध्यप्रदेश के कई जिलों में प्रचलित " ऐरा प्रथा " को समाप्त किया जाए.". तथा संक्षिप्त भाषण दिया.

संकल्प प्रस्तुत हुआ.

निम्नलिखित सदस्यों ने भी चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री केदारनाथ शुक्ल,
(2) श्री लखन पटेल
(3) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी

12. स्वागत उल्लेख

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा श्री ज्ञान सिंह, पूर्व मंत्री तथा वर्तमान सांसद एवं श्री अखिलेश जी, गौ संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष की अध्यक्षीय दीर्घा में उपस्थिति पर सदन की ओर से स्वागत उल्लेख किया गया.

13. अशासकीय संकल्प (क्रमशः)

(4) श्री मुरलीधर पाटीदार
(5) श्री आर.डी. प्रजापति
(6) श्री शैलेन्द्र पटेल
(7) श्री दिव्यराज सिंह
(8) श्री के.पी. सिंह
(9) कुंवर सौरभ सिंह
(10) श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष
(11) कुंवर विक्रम सिंह

श्री गौरीशंकर बिसेन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री एवं श्री अंतर सिंह आर्य, पशुपालन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

सदन की अनुमति से संकल्प वापस हुआ.

(2) सर्वश्री के.पी.सिंह, शैलेन्द्र पटेल, सदस्य ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया कि - "सदन का यह मत है कि मध्यप्रदेश के ग्रामीण इलाकों के विभिन्न ग्रामों की बड़ी आबादी वाली बसाहटों / मजरों / टोलों को राजस्व ग्राम घोषित किया जाए.".

संकल्प प्रस्तुत हुआ.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री के.पी.सिंह
(2) श्री शैलेन्द्र पटेल
(3) श्री गोविन्द सिंह पटेल
(4) श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे
(5) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया
(6) श्रीमती नीना विक्रम वर्मा

श्री उमाशंकर गुप्ता, राजस्व मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

सदन की अनुमति से संकल्प वापस हुआ.

14. अध्यक्षीय घोषणा
सदन के समय में वृद्धि विषयक

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की कि आज की कार्यसूची में उल्लेखित कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की जाए.

15. अशासकीय संकल्प (क्रमशः)

(3) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया, सदस्य ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया कि - "सदन का यह मत है कि केन्द्र सरकार के शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार शिक्षकों की मृत्यु उपरांत उनके परिवारजनों को दी जाने वाली अनुकंपा नियुक्ति के मामलों में बी.एड. एवं डी.एड. की अनिवार्यता को समाप्त किया जाए.". तथा संक्षिप्त भाषण दिया.

संकल्प प्रस्तुत हुआ.

सभापति महोदय (श्री के.पी. सिंह) पीठासीन हुए

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री राजेन्द्र फूलचन्द वर्मा
(2) श्री शैलेन्द्र पटेल

उपाध्यक्ष महोदय(डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

(3) श्री मुरलीधर पाटीदार
(4) श्री के.पी.सिंह
(5) श्री दिलीप सिंह परिहार

कुंवर विजय शाह, स्कूल शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ.

अपराह्न 6.10 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 24 जुलाई, 2017 (2 श्रावण, शक सम्वत् 1939) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

अवधेश प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल:
दिनांक: 21 जुलाई, 2017